न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 68/2017

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1 सुरेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी खोखरा तहसील सोजत		1 ग्राम पंचायत खोखरा जरिये सरपंच 2 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत खोखरा तहसील सोजत

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :—

1. श्री हरजीराम, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 29/9/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत खोखरा द्वारा मिसल संख्या 02/2016—17 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.08.2016 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत खोखरा ने जैर निगरानी आज्ञा के अनुसार सार्वजनिक सामुदायिक सभा भवना करणी सागर, खोखरा के नाम निःशुल्क पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.08.2016 को नियम 158 के तहत जारी किया गया है। जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि पंचायत की न होकर खातेदारी भूमि है। ग्राम पंचायत नजूल भूमि जो पंचायत के खाते में दर्ज है, उसका ही पट्टा जारी करने की अधिकारिता रखती है, किसी भी नीजी खातेदारी भूमि में पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत को अधिकारिता नही है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जेर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.08.2016 को अपास्त करावे।

अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने प्रतिवेदन में कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा खातेदारी भूमि पर जारी किया गया है, जिसमें समस्त खातेदारान द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई है। इसके पश्चात ही मिसल दर्ज की गई है तथा जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी खारिज करावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथीगण भंवरसिंह वगैरा द्वारा ग्राम खोखरा के बेरा करणी सागर में अपनी संयुक्त खातेदारी भूम में 30x40 भूमि का सामूहिक पट्टा जारी कराने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी मिसल कायम की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई आवेदन शुल्क वसूल किया तथा न ही मौका निरीक्षण

अति. जिला कलेक्टर, पाली

शुल्क। जिन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया, उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में रहवासी मकान भूमि पट्टे के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सम्पूर्ण मिसल एक प्रफोर्मा में प्रिन्टेड है, जिसमें मात्र रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। नोटिस किस्म स्थान पर चस्पा किया गया तथा किस दिनांक को जारी किया गया, अंकित नही है। आवेदन पत्र के साथ जो नक्शा प्रसतुत किया है, उसमें उक्त भूमि खसरा नम्बर 2001 के मध्य में स्थित होना दर्शित किया है, जो खातेदारी भूमि है। ग्राम पंचायत को किसी भी व्यक्ति की खातेदारी भूमि में पट्टा जारी करने की अधिकारिता नही है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुरने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है। जैर निगरानी पट्टा नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अध्याय 9 के नियम 158 के अन्तर्गत भूमियों का कमजोर वर्गो का आवंटन की प्रक्रिया विहित है, जिसमें यह आज्ञापक प्रावधान है कि पंचायत गांव आबादियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्ग के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़िया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी। इस नियम में यह भी जोडा गया कि पंचायत, सरहदी पंचायत समिति

अति. जिला कलेक्टर, पाली

क्षेत्रों के भूतपूर्व सैनिकों को ग्रामीण आबादी में 300 वर्गगज जक आबादी भूमि रियायती दर पर आवंटित कर सकेगी। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी आज्ञा नियम 158 के तहत निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है, जबकि इस नियम के तहत जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में सामुदायिक भवन हेतु पट्टा जारी नही किया जा सकता है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खोखरा द्वारा मिसल संख्या 02/2016–17 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.08.2016 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.08.2016 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत खोखरा का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/9/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली